



न्यायालय सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी), कौशाम्बी।

उपस्थित- अभिषेक गुप्ता (उ०प्र० न्यायिक सेवा)

मूल वाद संख्या :- 421 / 2009

सी.एन.आर. सं० UPKS060004942009

1. बिंदूलाल उम्र 31 वर्ष पुत्र स्व० ज्ञानबाबू
निवासी सुल्तानपुर ख्वाजा कडक भानीपुर, पोस्ट दारानगर, परगना- कडा,
तहसील सिराथू, जनपद कौशाम्बी।

.....वादी

बनाम

1. लल्लूराम पुत्र प्रताप उम्र 50 वर्ष
2. घनश्याम पुत्र राम प्रसाद उम्र 40 वर्ष
3. बाउली पुत्र जगन्नाथ उम्र 55 वर्ष (मृतक दौरान वाद)
3/1 सुकुन्ती देवी उम्र 56 वर्ष पत्नी बाउली (मृतक दौरान वाद)
3/2 रोशनलाल उम्र 40 वर्ष पुत्र बाउली
3/3 सुरेश सिंह उम्र 38 वर्ष पुत्र बाउली
3/4 वीरेंद्र उम्र 35 वर्ष पुत्र बाउली (मृतक दौरान वाद)
3/4/1 श्रीमती अर्चना देवी उम्र लगभग 35 वर्ष
3/4/2 शिवम उम्र लगभग 5 वर्ष द्वारा नैसर्गिक संरक्षिका व माता श्रीमती अर्चना देवी
3/5 नरेंद्र कुमार उम्र 30 वर्ष पुत्र बाउली
4. ओंकारनाथ उम्र 40 वर्ष पुत्र शिवबालक
5. मिश्रीलाल उम्र 38 वर्ष पुत्र शिवबालक
6. संतोष कुमार उम्र 30 वर्ष पुत्र शिवबालक
7. लवकुश उम्र 28 वर्ष पुत्र ज्ञानबाबू
8. चंद्रवती बेवा उम्र 55 वर्ष पुत्री ज्ञानबाबू
निवासीगण सुल्तानपुर ख्वाजा कडक भानीपुर, पोस्ट दारानगर, परगना- कडा,
तहसील सिराथू, जनपद कौशाम्बी।

..... प्रतिवादीगण

-:निर्णय:-

1. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 421 / 2009 प्रतिवादीगण के विरुद्ध वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु योजित किया गया है।
2. उक्त वाद में वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 की दौरान वाद मृत्यु हो जाने के कारण उनके विधिक वरिसानों को पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 8 को औपचारिक पक्षकार बनाया जा रहा है एवं उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार के अनुतोष की याचना नहीं की गई है।

3. वादपत्र में किये गये अभिकथन संक्षेपतः इस प्रकार है कि आराजी संख्या 498 रकबा 0.4450 हे० स्थित मौजा सुल्तानपुर ख्वाजा कडक भानीपुर, पोस्ट दारानगर, परगना- कडा, तहसील सिराथू, जनपद कौशाम्बी के वादी एवं प्रतिवादीगण 4 लगायत 8 सह-काश्तकार संक्रमणीय भूमिधर है तथा अपने-अपने हिस्से के अनुसार काबिज दखील है तथा कृषि कार्य करके अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 वादी की भूमिधरी आराजी संख्या 498 रकबा 0.4450 हे० स्थित मौजा सुल्तानपुर ख्वाजा कडक, परगना कडा, तहसील सिराथू, जनपद कौशाम्बी के जुज् भाग में शोरेपुस्ती व गुंडई के बल पर निर्माण सामाग्री ईट, बालू, सीमेंट आदि लेकर अराजक तत्वों के साथ नीव खोदना प्रारंभ किये तो वादी द्वारा मना करने पर काफी आमादा फसाद हुये जिसपर लोगों के समझाने बुझाने पर प्रतिवादीगण भाग गए किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व उनके अराजक तत्वों ने धमकी दिया कि एक दिन अवश्य आराजी संख्या 498 के जुज् भाग पर मकान बना लेंगे। विवादित भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के मकान के बीच स्थित खडंजा मार्ग 6 फिट चौड़ा स्थित है। विवादित स्थल पर प्रतिवादीगण जबरन एवं अवैध रूप से कब्जा करना चाहते है। दिनांक 25.07.2009 को प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 नींव खोदवाना प्रारंभ किए तथा रोकने पर धमकी दिये कि वह भविष्य में अवश्य निर्माण कार्य कर लेंगे। अतः उपरोक्त अभिकथन के आधार पर वादी द्वारा यह याचना की गई है कि जरिये स्थायी निषेधाज्ञा आदेश पारित कर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को मना कर दे कि वादी की भूमिधरी आराजी संख्या 498 रकबा 0.4450 हे० मौजा सुल्तानपुर ख्वाजा कडक, परगना कडा, तहसील सिराथू, जनपद कौशाम्बी में अवैध तरीके से किसी प्रकार का निर्माण न करें और न ही वादी के उक्त आराजी में शांतिपूर्ण कब्जा व दखल में अवैध हस्तक्षेप करें।

4. प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 की ओर से लिखित कथन 21 क / 7 से 21 क / 17 प्रस्तुत कर वादपत्र के कुछ तथ्यों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये शेष तथ्यों से इन्कार किया गया है व संक्षेपतः कथन किया है कि प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 8 वादी के घर पर रहते है, जिन्हे वादी ने औपचारिक पक्षकार के रूप में दावा में पक्षकार बनाया है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 का रहायसी मकान पुरानी आबादी गाटा संख्या 490 में स्थित है तथा गाटा संख्या 490 के जानिब दक्षिण भूमि आबादी गाटा संख्या 491 में प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 की गौशाला एवं उपली कंडा रखने के पक्के कमरे अरसा पूर्व उनके पिता के जमाने से स्थित चले आ रहे है और चकबंदी बंदोबस्त के समय भूमि गाटा 491 व 492 आबादी के रूप में बंदोबस्त आकार पत्र 41 व 45 में अंकित है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 वादी की भूमि गाटा संख्या 498 दिनांक 25.07.2009 को निर्माण सामग्री नहीं लेकर गये और न कोई नींव खोदी। प्रतिवादीगण

ने वादी की भूमिधरी पर कभी भी कोई कब्जा करने का प्रयास नहीं किया और न ही धमकी दिया। प्रतिवादीगण का जो भी निर्माण है वह गाटा संख्या 498 के जानिब उत्तर स्थित आबादी भूमि गाटा संख्या 491 में है। वादी ने तथ्यों को छिपाने की गरज से चकबंदी बंदोंबस्त में बनाए गए नक्शे के विरुद्ध गलत नक्शा न्यायालय के समक्ष दाखिल किया है। वादी की भूमि गाटा संख्या 498 के जानिब उत्तर भूमि आबादी गाटा संख्या 491 स्थित है जिसे जानबूझकर वादी ने अपने नजरी नक्शा में प्रदर्शित नहीं किया है। वादी का यह कथन गलत है कि विवादित भूमि 498 एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के मकान के बीच खड़जा मार्ग स्थित है। सही तथ्य यह है कि जो खड़जा मार्ग बना है वह आबादी भूमि गाटा संख्या 490 व 491 से होकर गया है और खंडजा मार्ग के जानिब दक्षिण आबादी गाटा संख्या 491 के शेष भाग है जिस पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 की गौशाला, चरही एवं उपली कंडा रखने के कमरे बने हैं। प्रतिवादीगण के उक्त निर्माण को वादी ने जानबूझकर अपने दावा व नजरी-नक्शा में प्रदर्शित नहीं किया है। वादी की भूमि गाटा संख्या 498 के जानिब उत्तर भूमि गाटा संख्या 491 आबादी भूमि है और उसी में प्रतिवादीगण का निर्माण स्थित है। प्रतिवादीगण के निर्माण के उत्तर भूमि गाटा संख्या 491 के जानिब उत्तर आबादी भूमि गाटा संख्या 490 स्थित है जिसमें प्रतिवादी के कमरे भी बने हैं। खड़जा मार्ग कतई भूमि गाटा संख्या 498 के उत्तर स्थित नहीं है बल्कि खंडजा मार्ग भूमि गाटा संख्या 490 व 491 पर बनाया गया है।

5. प्रतिवादीगण 4 लगायत 8 की ओर से लिखित कथन 30 क/ 1 से 30 क / 2 प्रस्तुत कर संक्षेपतः कथन किया है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 8 सह-भूमिधर काबिज दखील है जिससे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 से वास्ता व सरोकार नहीं है। अतः दावा वादी का डिक्री किए जाने योग्य है।

6. इसी वाद में प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के द्वारा प्रतिदावा भी प्रस्तुत किया गया है जिसमें कथन किया गया है कि वादी ने जान बूझकर वादग्रस्त संपत्ति की स्थिति एवं निर्माण को छिपाया है और खंडजा मार्ग को गलत स्थान पर अपने नक्शे में प्रदर्शित किया है। प्रतिवादीगण के खंडजा मार्ग जानिब दक्षिण निर्माण अक्षर निशानी च, छ, ज, झ, का पूर्वी भाग जो मृतक प्रतिवादी संख्या 3 का निर्माण था का पश्चिमी भाग प्रदर्शित अक्षर ट, ठ, ज, झ को वादी एवं उसके लड़के व सहयोगी ने दिनांक 27.06.2011 को कमरे की दीवारों को गिराकर कब्जा करने का प्रयास किया जिसके संबंध में स्थानीय थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी एवं उसके सहयोगी के विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 ने अंकित कराया। वादी भूमि आबादी संख्या 491 में स्थित प्रतिवादीगण के निर्माण को बलपूर्वक ध्वस्त करके कब्जा करने की फिराक में है और प्रतिवादी संख्या 3 के हिस्से के निर्माण का आंशिक भाग क्षतिग्रस्त कर दिया है जिससे प्रतिवादीगण का काफी नुकसान हुआ है। वादी दिनांक 27.06.2011 को अक्षर ट, ठ, ज, झ पर बने प्रतिवादीगण के निर्माण को गिराने के पश्चात इस प्रयास में है कि प्रतिवादी संख्या 1 व

2 के निर्माण को भी गिरा कर अपनी भूमि गाटा संख्या 498 में शामिल कर लें और उस पर स्वयं का निर्माण कर लें। अतः उक्त अभिकथन के आधार पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 ने याचना की है कि प्रतिदावा के साथ सलग्न नक्शा में प्रदर्शित भूमि अक्षर च, छ, ज, झ में निर्माण, जो कि भूमि गाटा संख्या 491 के जुजू अंश दक्षिणी भाग में स्थित है, पर वादी किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त न करें और न ही उस पर कब्जा करें और न ही प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के कब्जा दखल में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करें।

7. उक्त प्रतिदावा के विरुद्ध वादी द्वारा जवाबदावा दाखिल कर कथन किया गया है कि प्रतिवादीगण का वादग्रस्त संपत्ति पर कोई स्वत्व व अधिपत्य नहीं है अतः प्रतिदावा निरस्त किए जाने योग्य है।

विवाद्यक

8. उभयपक्ष के अभिवचनो के आधार पर दिनांक 07.11.2012 को निम्नलिखित वाद-बिन्दु विरचित किये गये –

1. क्या वादी विवादित भूमि वर्णित वाद पत्र का मालिक स्वामी व काबिज दखील है?
 2. क्या वाद का मूल्यांकन कम किया गया है और न्याय शुल्क अपर्याप्त है ?
 3. क्या वाद कि सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है ?
 4. क्या दावा वादी 7 नियम 11 सि०प्र०सं० से बाधित बाधित है ?
 5. क्या वादी द्वारा विवादित स्थल का गलत मानचित्र प्रस्तुत किया गया है ? यदि हाँ तो इसका प्रभाव ?
 6. क्या प्रस्तुत मामले में आवश्यक पक्षकार के असंयोजन का दोष विद्यमान है ?
 7. क्या प्रतिदावा वादी 7 नियम 11 सि०प्र०सं० से बाधित बाधित है ?
 8. क्या प्रतिदावा धारा 34 व 41 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है ?
 9. क्या प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 विवादित स्थल वर्णित प्रतिदावा अक्षर ट, ठ, ज, झ पर स्थित निर्माण के मालिक है ?
 10. क्या विवादित स्थल प्रतिवादीगण के स्वत्व व अध्यासन में है ?
 11. क्या प्रतिदावा धारा 331 जमींदारी विनाश अधिनियम से बाधित है ?
 12. क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है ?
 13. क्या प्रतिवादी 1 लगायत 3 किसी अन्य अनुतोष को प्राप्त करने के अधिकारी है?
9. वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कागज संख्या 8 ग / 2 खतौनी फ़सली वर्ष 1413-1418 की सत्य प्रतिलिपि, कागज संख्या 8 ग / 3 खसरा फ़सली वर्ष 1416 दाखिल किया गया है।
10. वादी द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में पी० डब्लू० 1 बिंदूलाल, पी० डब्लू० 2 जय प्रकाश को परीक्षित कराया गया है।

11. प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कागज संख्या 26 ग / 1 जो 0 च 0 आकार पत्र 41 की सत्य प्रतिलिपि, कागज संख्या 26 ग / 2 जो 0 च 0 आकार पत्र 45 की सत्य प्रतिलिपि, कागज संख्या 26 ग / 3 भू- मानचित्र आबादी गाटा संख्या 490, 491 व 492 व 498 मौजा सुल्तानपुर परगना कडा तहसील सिराथू कौशाम्बी की सत्यप्रतिलिपि एवं कागज संख्या 26 ग / 4 प्रथम सूचना रिपोर्ट नंबर 177240 की छायाप्रति दाखिल किया गया है।
12. प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में डी०डब्लू० 1 लल्लूराम, डी० डब्लू० 2 के रूप में सुरेश कुमार को परीक्षित कराया गया है।
13. मैंने वादी एवं प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

-:निष्कर्ष:-

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 1:-

वाद बिन्दु संख्या 1 इस आशय के साथ विरचित किया गया है कि क्या वादी विवादित भूमि वर्णित वाद पत्र का मालिक स्वामी व काबिज दखील है ?

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 5:-

यह विवाद्यक इस आशय का विरचित किया गया है क्या वादी द्वारा विवादित स्थल का गलत मानचित्र प्रस्तुत किया गया है ? यदि हाँ तो इसका प्रभाव ?

उपरोक्त दोनों ही वाद बिन्दु परस्पर सम्बन्धित हैं तथा दोनों ही वाद बिन्दुओं का निस्तारण समान साक्ष्य के आधार पर किया जाना है। अतः सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए दोनों ही वाद बिन्दुओं का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

उक्त वाद बिन्दु को साबित किए जाने के अनुक्रम में वादी द्वारा वादपत्र में यह कथन किया गया है कि आराजी संख्या 498 रकबा 0.4450 हे० स्थित मौजा सुल्तानपुर ख्वाजा कडक भानीपुर, पोस्ट दारानगर, परगना- कडा, तहसील सिराथू, जनपद कौशाम्बी के वादी एवं प्रतिवादीगण 4 लगायत 8 सह-काश्तकार संक्रमणीय भूमिधर है तथा अपने अपने हिस्से के अनुसार काबिज दखील है तथा कृषि कार्य करके अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन करते चले आ रहे है। वादी ने यह कथन किया है कि प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 वादी की भूमिधरी आराजी संख्या 498 रकबा 0.4450 हे० स्थित मौजा सुल्तानपुर ख्वाजा कडक, परगना कडा, तहसील सिराथू, जनपद कौशाम्बी पर वादी के अध्यासन में अतिक्रमण कर रहे है।

जबकि प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के द्वारा वादी के अभिकथनों के विखंडन में यह कथन किया गया है कि प्रतिवादीगण का जो भी निर्माण है वह गाटा संख्या 498 के जानिब उत्तर स्थित आबादी भूमि गाटा संख्या 491 में है और विवादित भूमि जिसे वादी

अपना बता रहे है वह आराजी संख्या 498 का बल्कि वह आराजी संख्या 491 का भाग है।

इस प्रकार उभय पक्ष के उपरोक्त अभिकथन एवं दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से सर्वप्रथम यह तय किया जाना आवश्यक है कि क्या वादी स्वयं द्वारा बताई गई भूमि का मालिक व काबिज है ? वादी द्वारा अपने वाद के आधार स्वरूप यह कथन किया है कि आराजी संख्या 498 रकबा 0.4450 हे0 में वादी एवं प्रतिवादीगण 4 लगायत 8 सह-काश्तकार संक्रमणीय भूमिधर है तथा अपने-अपने हिस्से के अनुसार काबिज दखील है। उक्त के संबंध में वादी द्वारा कागज संख्या 8 ग / 2 खतौनी फ़सली वर्ष 1413-1418 की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आराजी के बावत वादी बिंदूलाल व औपचारिक पक्षकार ओंकार नाथ, मिश्री लाल, संतोष कुमार लवकुश व चंद्रवती का नाम बतौर सहखातेदार दर्ज है। इसी प्रकार वादी द्वारा दाखिल कागज संख्या 8 ग / 3 खसरा में वर्णित आराजी के बावत वादीगण व उक्त सह खातेदारों का नाम दर्ज होना प्रकट होता है। इस संबंध में प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा में यह तथ्य स्वीकार किया है कि वादी की भूमि गाटा संख्या 498 है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादी का गाटा संख्या 498 पर पूर्ण कब्जा दखल है।

इस अनुक्रम में अब यह तय किया जाना आवश्यक है कि क्या वादी की आराजी संख्या 498 रकबा 0.4450 हे0 पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के द्वारा निर्माण किया जा रहा है ? इस संबंध में वादी द्वारा वादपत्र के साथ दाखिल नक्शा नजरी का अवलोकन किया गया जिससे यह प्रकट होता है कि वादी ने विवादित भूमि क, ख, ग, घ, को गाटा संख्या 498 रकबा 0.4450 हे0 का जुजू भाग होना दर्शाया है। वादी ने उक्त विवादित भूमि की पैमाइश / क्षेत्रफल नहीं दर्शाया है कि कितने भाग पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के द्वारा वादी के अध्यासन में हस्तक्षेप किया जा है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि शिनाख्त योग्य नहीं है। **श्रीमती फूलमती देवी बनाम मानिक लाल 2005 (2) ए.डब्लू.सी 1823 (इलाहाबाद)**, में माननीय उच्च न्यायालय ने यह मत प्रतिपादित किया है कि जहां पर विवादित संपत्ति की पाचन न हो सके वहाँ निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त वादी ने अपने नक्शे में विवादित भूमि के उत्तर की ओर 6 फिट चौड़ा खडंजा होना दर्शाया है एवं खडंजे के उत्तर की ओर प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 का मकान दर्शाया है किन्तु प्रतिवादीगण का मकान किस आराजी / गाटा संख्या पर है इसका उल्लेख वादी ने अपने नक्शे में नहीं किया है।

अग्रेतर, प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रतिदावा के समर्थन में जो नक्शा-नजरी दाखिल किया गया है उसमें वादी के गाटा संख्या 498 के उत्तर की ओर विवादित भूमि गाटा संख्या 491 दर्शाया गया है जिसमें प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के मकानात भी

दर्शाये गए है। गाटा संख्या 491 के उत्तर की ओर खंडजा मार्ग दर्शाया गया है। इस खंडजा मार्ग के उत्तर की ओर पुनः प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के मकानात दर्शाये गए है। विवादित भूमि के पश्चिम की ओर गाटा संख्या 492 राम प्रताप की भूमि दर्शाई गई है एवं पूरब की ओर रास्ता दर्शाया गया है। उक्त संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल कागज संख्या 26 ग / 2 जो 0 च 0 आकार पत्र 45 का अवलोकन किया गया जिसमें गाटा संख्या 490 व 491 आबादी के रूप में दर्ज है। इसके अतिरिक्त कागज संख्या 26 ग / 3 का राजस्व भू नक्शा की सत्य प्रतिलिपि का भी अवलोकन किया जिसमें गाटा संख्या 498 के उत्तर की ओर गाटा संख्या 491 जुड़ी हुई लगी है व गाटा संख्या 491 के उत्तर गाटा संख्या 490 लगी हुई है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व भू- नक्शा न्यायालय के समक्ष जो प्रस्तुत किया गया है वह प्रतिवादीगण के द्वारा प्रतिदावा के साथ दाखिल नक्शे के समरूप प्रकट होता है।

इसी अनुक्रम में मौखिक साक्ष्य का भी विश्लेषण किया जाना आवश्यक है जिसमें साक्षी पी 0 डब्लू 0 1 बिंदूलाल के बयान का उल्लेख किया जाना समीचीन है। साक्षी पी 0 डब्लू 0 1 बिंदूलाल ने अपने प्रति परीक्षा में कथन किया है कि –

“विवादित भूमि गाटा संख्या 498 के उत्तर 491 गाटा आबादी है। मेरे खेत 498 के उत्तर आबादी भूमि गाटा संख्या 491 राम प्रसाद, राम प्रताप व बउली के मकान बने है। 491 आबादी के उत्तर खंडजा मार्ग है खंडजा मार्ग के उत्तर पुरानी आबादी गाँव है खंडजा के उत्तर की ओर केशलाल, राम प्रसाद, राम प्रताप व बउली के मकान है।”

उक्त साक्षी के कथानुसार विवादित गाटा संख्या 498 के उत्तर गाटा संख्या 491(आबादी) स्थित है जो कि राजस्व भू- नक्शा के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है। उक्त तथ्यों के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट है कि गाटा संख्या 491 में प्रतिवादीगण राम प्रसाद, राम प्रताप व बाउली के मकानात बने हुए है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है प्रतिवादीगण द्वारा अपने नक्शे में जो विवादित भूमि का क्षेत्रफल दर्शाया गया है वह आकार पत्र 45 में उल्लिखित क्षेत्रफल के लगभग समान है जबकि वादी द्वारा अपने नक्शे में विवादित भूमि का न तो क्षेत्रफल दर्शाया है और न ही उत्तर की ओर प्रतिवादीगण की भूमि / मकानात किस गाटा संख्या पर स्थित है यह दर्शाया है। वादी द्वारा अपने अभिकथनों के समर्थन में अन्य और कोई साक्ष्य भी दाखिल नहीं किये गए हैं जिस आधार पर उसके पक्ष में स्थायी व्यादेश का अनुतोष पारित किया जा सके। जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गुरुमुख राम मदन बनाम भगवानदास मदन, (AIR 1998 SC 2771), में अवधारित किया गया है कि वादी को अपना वाद स्वयं साबित करना चाहिए। उसे प्रतिवादी की असफलता के कारण स्वमेव सफल नहीं माना जायेगा। वादपत्र के कथनों को साबित करने का भार वादी पर अधिक होता है।

इस प्रकार वादी यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि वह विवादित सम्पत्ति का स्वामी है और वह विधिक एवं स्थिर रूप से उक्त सम्पत्ति पर आध्यासित है। तदनुसार वाद बिंदु संख्या 1 वादी के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है। वाद बिंदु संख्या 5 भी उक्त विश्लेषण के प्रकाश में तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

निस्तारण वाद बिंदु संख्या 2:-

यह विवाद्यक इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादी द्वारा प्रदत्त मूल्यांकन व न्याय शुल्क अपर्याप्त है ?

वाद बिंदु संख्या 2 का निस्तारण न्यायालय द्वारा मूल वाद में दिनांक 28.01.2013 को किया जा चुका है जो इस निर्णय का अंश होगा।

निस्तारण वाद बिंदु संख्या 3:-

यह विवाद्यक इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वाद कि सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है ?

वाद बिंदु संख्या 3 का निस्तारण न्यायालय द्वारा मूल वाद में दिनांक 23.02.2013 को किया जा चुका है जो इस निर्णय का अंश होगा।

निस्तारण वाद बिंदु संख्या 4:-

यह विवाद्यक इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या दावा वादी 7 नियम 11 सि०प्र०सं० से बाधित बाधित है ?

यह वाद बिंदु प्रतिवादीगण के अभिकथनों के आधार पर निर्मित है जिसको सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है। इस वाद बिंदु पर प्रतिवादीगण द्वारा कोई बल नहीं दिया गया है। तदनुसार यह वाद बिंदु प्रतिवादीगण के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिंदु संख्या 6:-

यह विवाद्यक इस आशय का विरचित किया गया है क्या दावा वादी धारा 38 व 41 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित बाधित है ?

यह वाद बिंदु प्रतिवादीगण के अभिकथनों के आधार पर निर्मित है जिसको सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर है प्रतिवादी द्वारा इस वाद बिंदु पर अधिक बल नहीं दिया गया है और न ही यह बताया गया है कि किस प्रकार वादी का वाद धारा 38 व 41 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 के प्रावधानों से बाधित है। तदनुसार यह वाद बिंदु प्रतिवादीगण के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 7:-

यह विवाद्यक इस आशय का विरचित किया गया है क्या प्रस्तुत मामले में आवश्यक पक्षकार के असंयोजन का दोष विद्यमान है ?

यह वाद बिंदु प्रतिवादीगण के अभिकथनों के आधार पर निर्मित है जिसको सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर है। न्यायालय द्वारा उक्त के संबंध में वादी द्वारा दाखिल कागज संख्या 8 ग / 1 खतौनी का अवलोकन किया गया जिससे यह प्रकट होता है कि वादी ने समस्त सह-खातेदारों को पक्षकार बनाया है। प्रतिवादीगण द्वारा इस वाद बिंदु पर अधिक बल नहीं दिया गया है और न ही यह बताया गया है कि किस प्रकार वादी का वाद पक्षकारों के असंयोजन से बाधित है। तदनुसार यह वादी बिन्दु प्रतिवादीगण के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 8:-

यह विवाद्यक इस आशय का विरचित किया गया है क्या प्रतिवादी वादी 7 नियम 11 सि०प्र०सं० से बाधित बाधित है ?

यह वाद बिंदु वादी के अभिकथनों के आधार पर निर्मित है जिसको सिद्ध करने का भार वादी पर है। इस वाद बिंदु पर वादी द्वारा कोई बल नहीं दिया गया है। तदनुसार यह वाद बिंदु वादी के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 9:-

यह विवाद्यक इस आशय का विरचित किया गया है क्या प्रतिवादी धारा 34 व 41 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है ?

यह वाद बिंदु वादी के अभिकथनों के आधार पर निर्मित है जिसको सिद्ध करने का भार वादी पर है वादी द्वारा इस वाद बिंदु पर अधिक बल नहीं दिया गया है और न ही यह बताया गया है कि किस प्रकार प्रतिवादी धारा 38 व 41 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 के प्रावधानों से बाधित है। तदनुसार यह वाद बिन्दु वादी के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 10:-

यह विवाद्यक इस आशय का विरचित किया गया है क्या प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 विवादित स्थल वर्णित प्रतिवादी अक्षर ट, ठ, ज, झ पर स्थित निर्माण के मालिक है ?

प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के द्वारा प्रतिवादी भी प्रस्तुत किया गया है जिसमें प्रतिवादी के साथ संलग्न नक्शा नजरी में अक्षर ट, ठ, ज, झ पर स्थित निर्माण के बावत स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष की याचना प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के द्वारा

की गई है। जैसा कि प्रस्तुत वाद में वाद बिन्दु संख्या 1 वादी के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जा चुका है। उक्त तथ्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि प्रतिदावा में विवादित भूमि प्रदर्शित अक्षर ट, ठ, ज, झ आबादी भूमि है। प्रतिवादीगण द्वारा इस संबंध में न्यायालय के समक्ष जो 0 च 0 आकार पत्र 45 भी प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त वादी ने अपने प्रतिपरीक्षा में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि गाटा संख्या 491 में प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के मकानात बने हुए है। तथ्यों के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिदावा में विवादित भूमि प्रदर्शित अक्षर ट, ठ, ज, झ गाटा संख्या 491 का ही भाग है। इस प्रकार प्रतिवादी अपना प्रतिदावा साबित करने में सफल रहे है। तदनुसार यह वाद बिन्दु प्रतिवादीगण के पक्ष में सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 11:-

यह विवाद्यक इस आशय का विरचित किया गया है क्या विवादित स्थल प्रतिवादीगण के स्वत्व व अध्यासन में है ?

उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि प्रतिदावा में विवादित भूमि प्रदर्शित अक्षर ट, ठ, ज, झ एक आबादी भूमि है। जैसा कि वाद बिन्दु संख्या 10 से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण अपना प्रतिदावा साबित करने में सफल रहे है एवं प्रतिवादीगण द्वारा इस संबंध में न्यायालय के समक्ष आकार पत्र 45 भी प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, वादी ने अपने प्रतिपरीक्षा में इस तथ्य को इस तथ्य को स्वीकार किया है कि गाटा संख्या 491 में प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के मकानात बने हुए है। तथ्यों के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिदावा में विवादित भूमि प्रदर्शित अक्षर ट, ठ, ज, झ गाटा संख्या 491 का ही भाग है जिससे यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 विवादित भूमि में अध्यासन में है। तदनुसार यह वाद बिन्दु प्रतिवादीगण के पक्ष में सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 12:-

यह विवाद्यक इस आशय का विरचित किया गया है क्या प्रतिदावा धारा 331 जमींदारी विनाश अधिनियम से बाधित है ?

यह वाद बिंदु वादी के अभिकथनों के आधार पर निर्मित है जिसको सिद्ध करने का भार वादी पर है वादी द्वारा इस वाद बिंदु पर अधिक बल नहीं दिया गया है और न ही यह बताया गया है कि किस प्रकार प्रतिवादीगण का प्रतिदावा धारा 331 जमींदारी विनाश अधिनियम के प्रावधानों से बाधित है। तदनुसार यह वाद बिन्दु नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 13:-

यह विवाद्यक इस आशय का विरचित किया गया है क्या प्रतिवादी 1 लगायत 3 किसी अन्य अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है ?

प्रस्तुत प्रतिदावा में प्रतिवादीगण द्वारा याचित अनुतोष यह है कि जरिये स्थायी निषेधाज्ञा आदेश पारित कर वादी व उनके मेली मददगार को मना कर दे कि प्रतिवादीगण की प्रतिदावा के साथ संलग्न नक्शा नजरी में अक्षर ट, ठ, ज, झ से प्रदर्शित भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण न करें और न ही प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के उक्त विवादित भूमि में शांतिपूर्ण कब्जा व दखल में अवैध हस्तक्षेप करें। इस संबंध में उक्त वाद बिन्दु संख्या 10 व 11 प्रतिवादीगण के पक्ष में सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जा चुका है। उक्त अनुतोष के अतिरिक्त प्रतिवादीगण ने अन्य किसी अनुतोष की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट नहीं किया है। तदनुसार यह वाद बिन्दु निस्तारित किया जाता है।

-:आदेश:-

वादी का वाद खारिज किया जाता है।

प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 का प्रतिदावा आज्ञप्त किया जाता है। वादी को जरिये स्थाई व्यादेश सदैव के लिए निषेधित किया जाता है कि वह आराजी संख्या 491 स्थित मौजा सुल्तानपुर ख्वाजा, परगना कडा, तहसील सिराथू, जनपद कौशाम्बी में अक्षर च, छ, ज झ पर किसी प्रकार से प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के शांतिपूर्ण कब्जा दखल में हस्तक्षेप न करें। पक्षकार अपना-अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

दिनांक 29.10.2022

अभिषेक गुप्ता

न्यायालय सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी)

कौशाम्बी।

J.O. CODE - UP3254

यह निर्णय मेरे द्वारा आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक 29.10.2022

अभिषेक गुप्ता

न्यायालय सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी)

कौशाम्बी।

J.O. CODE - UP3254

